zomato

Zomato.com
info@zomato.com

To
Department of Corporate Services,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

To
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
C-1, G-Block, Bandra - Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Scrip Code: 543320, Scrip Symbol: ZOMATO
ISIN: INE758T01015

Sub.: Newspaper Advertisement regarding the 13th Annual General Meeting of the Company and e-voting information

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of the advertisement published today in the following newspapers w.r.t dispatch of notice of the 13th Annual General Meeting of the Company, e-voting and other related information:

- Financial Express (All editions in English); and
- Jansatta (Delhi Edition in Hindi).

A copy of same will be hosted on the website of the Company at www.zomato.com.

For Zomato Limited

Sandhya Sethia Digitally signed by Sandhya Sethia Date: 2023.08.05 12:18:05 +05'30'

Sandhya Sethia
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Delhi
Date: August 5, 2023

● CITES PERSONAL REASONS, HAD 2 YRS LEFT

Bombay HC Judge quits, in open court

OMKAR GOKHALE
Mumbai, August 4

Those who are present in the court, I apologise to each one of you. I scolded you because I wanted you to improve. I do not want to hurt any of you because you all are like a family to me..
ROHIT B DEO, BOMBAY HC JUDGE

CITING "PERSONAL REASONS", Justice Rohit B Deo of the Bombay High Court resigned from office Friday, announcing it in his courtroom in Nagpur where the High Court has a bench.

Speaking to the media later, Justice Deo said, "I have quit due to personal reasons. I have sent my resignation to the President of India."

He was to retire on December 4, 2025. Lawyers present in the courtroom said he told them: "Those who are present in the court, I apologise to each one of you. I scolded you because I wanted you to improve. I do not want to hurt any of you because you all are like a family to me and I am sorry to tell you that I have submitted my resignation. You people (lawyers) work hard."

He led a two-judge bench which, on October 14 last year, acquitted sacked Delhi University professor G N Saibaba who had been sentenced to life imprisonment in 2017 over alleged Maoist links. The bench cited absence of valid sanction under the Unlawful Activities (Prevention) Act and declared the trial proceedings in a Gadchiroli court "null and void". It also acquitted five others sentenced by the lower court.

But the very next day, the Supreme Court, in a special sitting, suspended the High Court judgement until further orders, noting that the High Court had not gone into the merits of the case or that of the trial court judgement or "the seriousness and gravity of the offences for which the accused were convicted".

In April this year, the Supreme Court set aside the High Court order discharging Saibaba and sent the matter back to the High Court to be decided afresh by a different bench.

Last month, while staying the operation of a state Government Resolution (GR) of no punitive action against contractors of the Samruddhi Expressway, Justice Deo found "formidable substance" in submissions against the GR.

Appointed Additional Judge of the Bombay High Court on June 5, 2017, Justice Deo was made a permanent Judge on April 12, 2019.

He had been an Assistant Solicitor General, representing the Central government before the Nagpur bench, and was also Advocate General of Maharashtra.

Justice Deo is the third judge of the Bombay High Court to resign in the last three years.

In February 2022, two days before the end of her tenure, Justice Pushpa V Ganediwala, Additional Judge who was denied elevation as a Permanent Judge, resigned.

The Supreme Court Collegium had decided not to recommend the name of Justice Ganediwala as Permanent Judge after two of her verdicts were closely scrutinised for controversial interpretation of sexual assault under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.

In February 2020, citing "purely personal and family" issues, Justice Satyaranjan C Dharmadhikari tendered his resignation.

● EXCHANGING PLEASANTRIES

Union minister Meenakshi Lekhi and Congress MP Jairam Ramesh during the Monsoon session of Parliament on Friday. PTI

SC refuses to stay ASI survey of Gyanvapi

ANANTHAKRISHNAN G
New Delhi, August 4

The entire process shall be concluded through any non-invasive methodology, the top court said

UNDERLINING THAT THE key question for any determination under the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 is the religious character of a place of worship as it existed on August 15, 1947, the Supreme Court Friday declined to stop the survey of the Gyanvapi mosque complex in Varanasi by the Archaeological Survey of India (ASI).

The survey – it began Friday – was ordered by the Varanasi District and Sessions Court on July 21 and upheld by the Allahabad High Court on August 2.

While the district court order allowed excavation if necessary, the ASI assured the High Court that it will not resort to excavation or any method that will in any manner damage the existing structure. Upholding the High Court order, a three-judge bench, presided by Chief Justice of India D Y Chandrachud, directed that "the entire process shall be concluded through any non-invasive methodology". The bench was hearing a plea by the Anjuman Intezamia Masajid Committee which had challenged the survey order.

"The order of the learned trial judge... cannot prima facie at this stage be construed to be without jurisdiction... The HC was, in our view, correct in introducing certain specific directions to circumscribe the nature of the order which was passed by the district judge. Reading the directions which have been issued by the district judge, it is apparent that they would be amenable to carrying out an excavation at the site. However, during the course of the proceedings before the HC, the ASI has clarified on affidavit that it was neither carrying out any excavation nor would the survey involve any destruction of the property," the bench, also comprising Justices J B Pardiwala and Manoj Misra, said in its order.

Manipur govt asks governor to convene Assembly on August 21

PRESS TRUST OF INDIA
Imphal, August 4

THE MANIPUR CABINET on Friday asked Governor Anusuiya Uikey to convene a session of the Manipur assembly from August 21.

A brief notification today said, "The State Cabinet has recommended to the Hon'ble Governor of Manipur for summoning the 4th session of the 12th Manipur Legislative Assembly on the 21st August, 2023."

The previous assembly session was held in March.

Among others, the Congress in Manipur had requested Governor Uikey to convene an emergency session of the Assembly to discuss the "ongoing unprecedented turmoil" in the state.

"The Assembly is the most appropriate forum to discuss the situation and get suggestions on how to restore peace in the state rocked by ethnic strife since early May," five Congress MLAs including CLP leader Okram Ibobi Singh said in a letter to the Governor last month.

SC to hear Sisodia's interim bail pleas on September 4

EXPRESS NEWS SERVICE
New Delhi, August 4

THE SUPREME COURT Friday adjourned the hearing of former Delhi deputy CM Manish Sisodia's interim bail pleas in two excise policy cases till September 4.

Sisodia, currently in jail for his alleged role in the now-scrapped excise policy case being probed by both CBI and ED, sought interim bail on grounds of his wife's ill health. On July 14, the top court had sought responses of the CBI and the ED on the interim bail pleas of Sisodia in the cases.

Going through the medical records of Sisodia's wife, a bench of Justices Sanjiv Khanna and SVN Bhatti said she is "fairly stable" and, therefore, the interim bail pleas of the former deputy chief minister will be considered along with regular bail pleas in the cases, thereby granting more time to both the probe agencies to file reply on the pleas.

On May 30, the Delhi High Court had denied bail to Sisodia in the CBI case, pointing out that having been the deputy chief minister and excise minister, he is a "high-profile" accused having the potential to influence the witnesses.

In his bail plea in the Supreme Court, Sisodia has contended that there is no documentary evidence or even an allegation that any of the alleged kickbacks/bribes were paid to or received by him.

FORM NO. 3
[SEE REGULATION-15(1)(A)/16(3)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 1)
2ND FLOOR, SCO NO. 33-34-35, SECTOR 17-A, CHANDIGARH

CASE NO. : OA/789/2020 **EXH. No.: 17044**

SUMMONS UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 19 OF THE ACT, READ WITH SUB-RULE (2A) OF RULE 5 OF THE DEBT RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, 1993)

STATE BANK OF INDIA
VS
M/S BALAJI HOSIERY AGENCY

To,
(1) M/S BALAJI HOSIERY AGENCY A SOLE PROPRIETORSHIP CONCERN SITUATED AT STREET NO. 6, 3RD CHOWK, ABOHAR, DISTRICT FAZILKA PUNJAB, THROUGH ITS SOLE PROPRIETOR SH. RAM AVTAR FAZILKA, PUNJAB -152116.
(2) SH. RAM AVTAR SON OF SH. DEEN DYAL, RESIDENT OF STREET NO. 1A, HOUSE NO. 681, BACKSIDE RADHA VALLABH MANDIR, ABOHAR, DISTRICT FAZILKA, FAZILKA, PUNJAB.
(3) SMT. MEENU PERIWAL WIFE OF SH. JAGAT PERIWAL, RESIDENT OF STREET NO. 4, LAST CHOWK, ABOHAR, DISTRICT FAZILKA, FAZILKA, PUNJAB.
(4) SH. SUMIT KUMAR S/O SH. RAM AVTAR, RESIDENT OF STREET NO. 4, LAST CHOWK, ABOH4R, DISTRICT FAZILKA, FAZILKA, PUNJAB.

SUMMONS

WHEREAS, OA/789/2020 was listed before Hon'ble Presiding Officer/ Registrar on **10/05/2023.**

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under Section 19(4) of the Act (OA) filed against you for recovery of debts of **Rs. 26,58,281/-** (application along with copies of document etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-
(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;
(ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;
(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;
(iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/ or others assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;
(v) you shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before **Registrar on 31/08/2023 at 10:30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this tribunal on this date 16.05.2023.

Signature of the Officer Authorised to issue summons

zomato
Zomato Limited
CIN: L93030DL2010PLC198141
Registered Office: Ground Floor 12A, 94 Meghdoot, Nehru Place, New Delhi – 110019, India
Website: www.zomato.com; **E-mail:** companysecretary@zomato.com
Phone No: +91 11 40592373

NOTICE OF 13TH ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF ZOMATO LIMITED AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 13th AGM of the members of Zomato Limited (**"Company"**) will be held on Wednesday, August 30, 2023 at 04:30 P.M. (IST) through Video Conferencing (**"VC"**) or Other Audio Visual Means (**"OAVM"**) to transact the business(es) as set out in the notice of the AGM (**"Notice"**). The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company which shall be the deemed venue of the AGM.

1. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 02/2022 dated May 5, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022 and any other circulars issued in this regard by the Ministry of Corporate Affairs, read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and any other circulars issued in this regard by the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any amendments, modifications or re-enactments thereof for the time being in force), the Notice and Annual Report for the financial year ended on March 31, 2023 (**"Annual Report"**) have been sent only through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ depositories/ depository participant. The electronic dispatch of Notice and Annual Report to the members has been completed. The soft copy of the Notice and Annual Report is also available on the Company's website www.zomato.com, website of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also at the website of Link Intime India Private Limited (**"Link Intime"**), e-voting agency at https://instavote.linkintime.co.in.
2. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or e-voting at the AGM shall be Wednesday, August 23, 2023 (**"Cut-off date"**). Shareholders of the Company, whose names appear in the register of members / list of beneficial owners as on Cut-off date, shall only be entitled to vote electronically either through remote e-voting or e-voting during AGM, on the resolutions set forth in the Notice. A person who is not a shareholder as on the Cut-off date should treat this communication for information purposes only. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off date.
3. Any person who acquires shares and becomes a member of the Company after dispatch of Notice and holds shares as on the Cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at vishal.dixit@linkintime.co.in. However, if they are already registered with Link Intime for e-voting, then they can use their existing user ID and password to cast their vote(s).
4. All the members are informed that:
   (a) the business(es) set out in the Notice may be transacted through remote e-voting or e-voting at the AGM;
   (b) The remote e-voting period is as follows:

Commencement of remote e-voting	Saturday, August 26, 2023 at 9.00 A.M. (IST)
Conclusion of remote e-voting	Tuesday, August 29, 2023 at 5.00 P.M. (IST)

   (c) Remote e-voting shall not be allowed beyond Tuesday, August 29, 2023 at 5.00 P.M. (IST) and the remote e-voting module shall be disabled by Link Intime upon expiry of aforesaid period.
   (d) Shareholders who have casted their vote(s) by remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM through VC/OAVM means but shall not be entitled to cast their vote(s) again.
   (e) Facility for e-voting will also be available during the AGM and those members present in the AGM through VC/OAVM, who have not casted their vote on the resolution through remote e-voting and are not otherwise barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting during the AGM.
   (f) Once the vote is casted by the member on a resolution, the member will not be allowed to modify or change his/her vote subsequently.
5. The detailed procedure for e-voting and joining the AGM through VC/OAVM, including the manner in which members holding shares in physical/demat form and who have not registered their email address can cast their vote(s) through remote e-voting or e-voting at the AGM, is provided in the Notice. The Company has additionally provided the facility to the members to temporarily update their email address by clicking the link: https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html for limited purposes of receiving the Notice and Annual Report.
6. In case the shareholders have any queries or issues regarding remote e-voting and AGM, they may refer the Frequently Asked Questions (**"FAQs"**) and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under help section or write an email to Mr. Rajiv Ranjan, AVP - e-voting, Link Intime, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083 at enotices@linkintime.co.in or contact at Tel : 022 – 49186000 or write an email to Ms. Sandhya Sethia, Company Secretary and Compliance Officer of the Company by sending email at companysecretary@zomato.com.

Members are requested to carefully read the Notice and in particular, instructions for joining AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

For and on behalf of the Board
Zomato Limited

Sd/-
Sandhya Sethia
Company Secretary and Compliance Officer

Date: August 05, 2023
Place: Gurugram

ASEEM INFRA FINANCE

Aseem Infrastructure Finance Limited
Regd. Office: 4th Floor, UTI Towers, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, **CIN:** U65990MH2019PLC325794
Website: www.aseeminfra.in | **Tel:** 022 68591350 | **Email:** info@aseeminfra.in

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

(All amounts are in INR Lakhs, unless otherwise stated)

Sr. No.	Particulars	For the quarter ended			For the year ended
		June 30, 2023 (Reviewed)	March 31, 2023 (Reviewed)	June 30, 2022 (Reviewed)	March 31, 2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	28,071.58	24,174.25	14,981.69	78,911.95
2	Net Profit /(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6,870.70	5,307.04	4,537.98	18,841.36
3	Net Profit /(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	6,870.70	5,307.04	4,537.98	18,841.36
4	Net Profit /(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	7,270.09	5,933.63	5,422.55	22,104.58
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,268.55	5,935.56	5,422.75	22,076.47
6	Paid-up equity share capital	2,38,058.63	2,38,058.63	2,38,058.63	2,38,058.63
7	Reserves (excluding revaluation reserves)	65,106.47	57,837.92	41,184.20	57,837.92
8	Securities Premium Account	16,872.55	16,872.55	16,872.55	16,872.55
9	Net Worth	3,03,165.10	2,95,896.55	2,79,242.83	2,95,896.55
10	Paid-up Debt Capital/Outstanding Debt	9,89,129.12	10,04,244.09	5,69,188.01	10,04,244.09
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil	Nil	Nil
12	Debt Equity Ratio	3.26	3.39	2.04	3.39
13	Earnings per share (of ₹ 10 each) (for continuing and discontinuing operations) (not annualised)				
	Basic (₹)	0.31	0.25	0.23	0.93
	Diluted (₹)	0.31	0.25	0.23	0.93
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA
15	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA

Notes:
1 The above is an extract of detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results is available on www.nseindia.com and www.aseeminfra.in. The above financial results of the Company have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013.
2 The aforesaid financial results of the Company were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the respective meetings held on August 3, 2023 and August 4, 2023.
3 The Company has been assigned credit ratings as mentioned below:

Instruments	Nature	Credit Rating Agency	Rating Assigned
Non-convertible debentures	Long Term Instrument	CRISIL / CARE / ICRA Ltd / India Ratings & Research Private Limited	AA+ (Stable)
Bank Lines	Long Term Instrument	ICRA Ltd	AA+ (Stable)
Bank Lines	Short Term Instrument	CRISIL / ICRA Ltd	A1+
Benchmark linked Non-convertible debentures	Long Term Instrument	ICRA Ltd	PP-MLD AA+ (Stable)

4 The figures for previous period/year have been regrouped wherever required, to correspond with those of the current period.

For and on behalf of the Board of Directors of
Aseem Infrastructure Finance Limited
Surya Prakash Rao Pendyala
Chairman
DIN: 02888802

Place: Mumbai
Date: August 4, 2023

Ratios	Description	As at June 30, 2023 (Reviewed)	As at March 31, 2023 (Audited)
Debt-Equity Ratio	Total Debt / Total Equity	3.26	3.39
Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable	NA	NA
Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	NA	NA
Outstanding Redeemable Preference Shares (quantity and value)	NIL	Nil	Nil
Capital Redemption Reserve / Debenture Redemption Reserve*	Not Applicable	NA	NA
Net Worth	Share capital + Reserves and surplus	3,03,165.10	2,95,896.55
Net Profit After Tax		7,270.09	22,104.58
Earnings Per Share (not annualised)	PAT / Weighted average number of shares	0.31	0.93
Current Ratio	Not Applicable	NA	NA
Long Term Debt to Working Capital	Not Applicable	NA	NA
Bad Debts to Account Receivable Ratio	Not Applicable	NA	NA
Current Liability Ratio	Not Applicable	NA	NA
Total Debts to Total Assets	Total Debt / Total Asset	76.12%	76.86%
Debtors Turnover	Not Applicable	NA	NA
Inventory Turnover	Not Applicable	NA	NA
Operating Margin (%)	Profit Before Tax / Total Revenue	33.85%	36.60%
Net Profit Margin (%)	PAT / Total Revenue	25.90%	28.01%
Sector Specific Equivalent Ratios			
Gross Non-Performing Assets (GNPAs)	No NPA	Nil	Nil
Net Non-Performing Assets (NNPAs)	No NPA	Nil	Nil
Capital Adequacy	Capital Adequacy Ratio	21.38%	21.19%
Tier 1 Capital Ratio	-	20.60%	20.40%
Tier 2 Capital Ratio	-	0.78%	0.79%

*Debenture Redemption Reserve is not required in respect of privately placed debentures in terms of Rule 18(7)(b) of Companies (Share Capital and Debenture) Rules, 2014.

Adfactors 200

खबर कोना

सोना स्थिर, चांदी में 100 रुपए की गिरावट

नई दिल्ली,4 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 60,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर अपरिवर्तित रहा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। हालांकि, चांदी की कीमत 100 रुपए टूटकर 74,900 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1,934 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रहा जबकि चांदी नुकसान के साथ 23.47 डॉलर प्रति औंस रही। सरकारी बान्ड से प्राप्ति बढ़ने और मजबूत डालर इंडेक्स के कारण इस सप्ताह सोने की कीमतों पर दबाव रहा।

रुपया आठ पैसे की गिरावट के साथ दो माह के निचले स्तर पर

मुंबई, 4 अगस्त (भाषा)।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार को आठ पैसे की गिरावट के साथ दो माह के भी अधिक के निचले स्तर 82.82 प्रति डालर (अस्थायी) पर बंद हुआ। सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में डालर की मांग बढ़ने और कच्चे तेल कीमतों में मजबूती आने से रुपये की धारणा कमजोर हुई। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि विदेशी कोष की निकासी से भी रुपये पर दबाव रहा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.73 पर खुला।
दिन में कारोबार के दौरान यह 82.72 के उच्चस्तर तक गया तथा 82.85 के निचले स्तर तक आया। अंत में यह अपने पिछले बंद भाव से आठ पैसे गिरकर 82.82 प्रति डालर पर बंद हुआ।

मणिपुर और भीलवाड़ा कांड पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा, नारेबाजी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 अगस्त।

सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान की स्थिति को लेकर सभी सदस्य चिंतित हैं। जिस प्रकार वहां दिनदहाड़े हमारी छोटी बेटियों, बच्चियों के साथ अलग-अलग प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके ऊपर अवश्य सदन को विचार करना चाहिए।

मणिपुर और राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग लड़की के अपहरण, सामूहिक बलात्कार और भट्टी में जलाकर हत्या करने समेत विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित रही।

राज्यसभा में शुक्रवार को सत्ता पक्ष ने राजस्थान में 'कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति' पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया। वहीं, लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित रही। हंगामे के बीच ही लोकसभा में दो विधेयक पारित हुए और एक विधेयक पेश किया गया। राज्यसभा में विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे पर नियम 267 के तहत दिए गए कार्यस्थगन नोटिस को स्वीकार करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 12:05 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने वाईएसआर कांग्रेस के वेंकटरामण राव मोपी देवी, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और फिर आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए।

सभापति ने बताया कि नियम 267 के तहत उन्हें कुल 48 नोटिस मिले हैं। उनके इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राजस्थान के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य राजस्थान में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना का जिक्र कर रहे थे।

सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान की स्थिति को लेकर सभी सदस्य चिंतित हैं। जिस प्रकार वहां दिनदहाड़े हमारी छोटी बेटियों, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके ऊपर अवश्य सदन को विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान की स्थिति पर चर्चा के लिए नियम 176 के तहत कुछ सदस्यों ने नोटिस दिया है और सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि राजस्थान की गंभीर समस्या पर, ध्वस्त कानून और व्यवस्था पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को बोलने का मौका दिया। लेकिन जैसे ही खरगे खड़े हुए, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। सभापति की इस टिप्पणी के बाद विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा थमते न देख सभापति ने कार्यवाही 11 बजकर 31 मिनट पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

भाजपा ने लोकसभा में जारी किया विप

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 अगस्त।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा सांसदों को सात से 11 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने और सरकार के रुख और विधेयकों का समर्थन करने के लिए तीन-लाइन का विप जारी किया है।

सरकार और विपक्ष के लिए संसद का अगला सप्ताह बहुत महत्त्वपूर्ण रहने वाला है। एक ओर, जहां राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया जाएगा। वहीं, लोकसभा में विपक्षी दलों की ओर से सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि संसद के वर्तमान सत्र में 31 विधेयक पेश किए जाने हैं लेकिन मणिपुर हिंसा पर चर्चा की विपक्ष की मांग और नारेबाजी की वजह से दोनों सदनों में कामकाज सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है।

देश के 148 में से केवल 22 हवाई अड्डे ही लाभ में

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 अगस्त।

समिति ने सिफारिश की कि हवाई टिकट की ज्यादा और कम कीमत को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए।

संसद की एक समिति ने हवाई किराए के निर्धारण में स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था की शुरुआत सुनिश्चित करने की सिफारिश की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि देश के 148 में से केवल 22 हवाई अड्डे ही लाभ में हैं। बीजू जनता दल के सुजीत कुमार की अध्यक्षता वाली इस समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद में शुक्रवार को पेश की।

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा विमान पत्तनों के आधुनिकीकरण का अनुरोध करने वाली याचिका के संबंध में 161वां प्रतिवेदन में कहा गया है कि एक ही दिन, एक ही एअरलाइन और एक ही उड़ान के हवाई किराए में भारी अंतर होता है। समिति ने एअरलाइंस द्वारा अत्यधिक हवाई शुल्क लिए जाने के बारे में चिंता व्यक्त की। समिति ने सिफारिश की कि हवाई टिकट की ज्यादा और कम कीमत को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए और हवाई किराए के निर्धारण में स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था की शुरुआत सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा समिति ने कहा कि उड़ान रद्द होने की स्थिति में टिकट की राशि तय समय में वापस होनी चाहिए।

वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता पर भारत में ईंधन के दाम काबू में : हरदीप पुरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 अगस्त।

पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन हमारी विदेश नीति, व्यापार नीति, ऊर्जा नीति को बदल रहा है।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बावजूद भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों की 'किफायती कीमत' को बरकरार रखा और पड़ोसी देशों व कई बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के मुकाबले दो वर्ष में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की गई।

पुरी ने संवाददाताओं के साथ बातचीत में तेल की कीमतों को लेकर सरकार की आलोचना करने पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया और कहा कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में भाजपा शासित राज्यों के मुकाबले पेट्रोल और डीजल की कीमत अधिक है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्यवर्धित कर (वैट) में कमी की गई है ताकि कीमत को नीचे लाया जा सके। मंत्री ने यह भी कहा कि भारत अपनी तेल शोधन क्षमताओं का विस्तार करने की प्रक्रिया में है। पुरी ने व्यापार और विदेश नीति के क्षेत्र में एनडीए सरकार की सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत पहले से ही दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेलशोधन केंद्र है, लेकिन केंद्र सरकार इसे अब दूसरा सबसे बड़ा रिफाइनिंग केंद्र बनने जा रही है।

पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन हमारी विदेश नीति, व्यापार नीति, ऊर्जा नीति को बदल रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार पेट्रोलियम की कीमतों में कटौती करने की योजना बना रही है क्योंकि वह एक साल से अधिक समय से रूस से रियायती दर पर कच्चा तेल खरीद रही है, पुरी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि छूट अभी उतनी नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे सरकार देश की तेलशोधन क्षमता को बढ़ाने के अलावा तेल की कीमतों को किफायती दायरे में रखने में कामयाब रही।

zomato
ज़ोमाटो लिमिटेड
सीआईएन : L93030DL2010PLC198141
पंजीकृत कार्यालय : भूतल 12ए, 94 मेघदूत, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 110019, भारत
वेबसाइट: www.zomato.com; ई-मेल: companysecretary@zomato.com
फोन नंबर 011-40592373

ज़ोमाटो लिमिटेड की 13वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") और ई-वोटिंग की सूचना

नोटिस एतद्द्वारा दिया जाता है कि ज़ोमाटो लिमिटेड ("**कंपनी**") के सदस्यों की 13 वीं एजीएम बुधवार, 30 अगस्त 2023, सायं 04:30 बजे (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("**वीसी**") या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("**ओएवीएम**") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जैसा की एजीएम ("**नोटिस**") के नोटिस में उल्लिखित किया गया है। एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जो एजीएम का स्थल माना जाएगा।

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांकित 05 मई 2020, 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी 2021, 02/2022 दिनांकित 5 मई 2022, 10/2022 दिनांकित दिसम्बर 28, 2022 और इस संबंध में कॉर्पोरेट मामलो के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 13 मई 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांकित 5 जनवरी 2023 और इस सम्बन्ध में जारी कोई भी अन्य परिपत्र जो की भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किये गए है और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (उसमे किये गए संशोधन, परिवर्तन या पुनः अधिनियमन जो की आज तक के लिए मान्य है), के अनुपालन में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट ("**वार्षिक रिपोर्ट**") केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरीज / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण पूरा हो गया है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी कंपनी की वेबसाइट www.zomato.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("**लिंक इनटाइम**"), ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
2. एजीएम में इ-वोटिंग या रिमोट इ-वोटिंग द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि बुधवार, 23 अगस्त 2023 ("**कट-ऑफ डेट**") होगी। कंपनी के शेयरधारकों, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं, नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर एजीएम के दौरान ई-वोटिंग या रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के हकदार होंगे। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयरधारक नहीं है, उसे इस संचार को केवल सूचना उद्देश्यों के लिए मानना चाहिए। शेयरधारकों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की समता अंश पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।
3. कोई भी व्यक्ति जो शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, vishal.dixit@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि वे पहले से ही ई-वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम के साथ पंजीकृत हैं, तो वे अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
4. सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
   (a) नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है:
   (b) रिमोट ई-वोटिंग अवधि इस प्रकार है:

रिमोट ई-वोटिंग की शुरूआत	शनिवार, 26 अगस्त 2023 प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग का निष्कर्ष	मंगलवार, 29 अगस्त 2023 शाम 5.00 बजे (आईएसटी)

   (c) रिमोट ई-वोटिंग को मंगलवार, 29 अगस्त 2023, शाम 5.00 बजे (आईएसटी) से आगे की उपलब्ध नहीं होगी और रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर लिंक इनटाइम द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
   (d) जिन शेयरधारकों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी / ओएवीएम माध्यमों के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
   (e) एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में मौजूद वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
   (f) एक बार किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में अपने वोट को संशोधित करने या बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की विस्तृत प्रक्रिया, जिसमें भौतिक/डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं, नोटिस में प्रदान किया गया है। केवल नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए, कंपनी ने सदस्यों को लिंक https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके अस्थायी रूप से अपना ईमेल पता अपडेट करने की सुविधा भी प्रदान की है।
6. यदि शेयरधारकों के पास रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम से सम्बन्धित कोई प्रश्न या समस्या है, तो वे सहायता अनुभाग के तहत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("**एफएक्यू**") और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं जो कि https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध है या श्री राजीव रंजन, एवीपी- ई-वोटिंग, लिंक इनटाइम, सी -101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083 को enotices@linkintime.co.in पर ईमेल लिख सकते हैं या टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं: 022 - 49186000 या companysecretary@zomato.com पर ईमेल भेजकर कंपनी की कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी सुश्री संध्या सेठिया को एक ईमेल लिख सकते है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोटिस को ध्यान से पढ़ें और विशेष रूप से, एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश, एजीएम में इ-वोटिंग या रिमोट इ-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका ।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
ज़ोमाटो लिमिटेड
हता/-
संध्या सेठिया
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

तिथि: 05 अगस्त, 2023
स्थान: गुरूग्राम

मुंबई में 31 अगस्त और एक सितंबर को हो सकती है विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की अगली बैठक

नई दिल्ली, 4 अगस्त (भाषा)।

विपक्ष के 26 दलों के गठबंधन ह्यइंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) की अगली बैठक मुंबई में 31 अगस्त और एक सितंबर को हो सकती है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पहले यह बैठक अगस्त के आखिरी सप्ताह में होनी थी, लेकिन कुछ नेताओं ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला देते हुए उपलब्ध होने में असमर्थता जताई।

विपक्षी गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, 'हमारे गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में 31 अगस्त और एक सितंबर को होगी। 31 अगस्त को विपक्षी नेताओं के लिए रात्रिभोज रखा गया है। एक सितंबर को दिन में औपचारिक बैठक होगी और फिर शाम के समय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन होगा।' सूत्रों ने बताया कि यह बैठक पवई इलाके के एक होटल में होनी है। ऐसा पहली बार होगा कि 'इंडिया' के घटक दलों की बैठक ऐसे किसी राज्य में होने वाली है, जहां इनमें से कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं है।

विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल (एकीकृत) द्वारा पटना में आयोजित की गई थी। दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बंगलुरु में आयोजित की गई थी। मुंबई की बैठक इस मायने में भी महत्वपूर्ण होगी कि उसमें इस गठबंधन के किसी संयोजक के नाम पर फैसला हो सकता है और समन्वय समिति का भी गठन हो सकता है। विपक्ष के 26 दलों ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी बिसात बिछाने का आगाज करते हुए गत 18 जुलाई को 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया)' नाम से नए गठबंधन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि यह 'इंडिया' 2024 में राजग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पराजित करेगा।

इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राकांपा (शरद गुट) प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राजद प्रमुख लालू यादव, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कुछ अन्य नेता शामिल हुए थे।

निजी बस संचालकों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी, 300 से अधिक बसें नहीं चलीं

मुंबई, 4 अगस्त (भाषा)।

मुंबई में सार्वजनिक परिवहन निकाय 'बेस्ट' द्वारा नियुक्त निजी बसों के संचालकों के वाहन चालकों की हड़ताल शुक्रवार को तीसरे दिन और तेज हो गई, जिसके कारण 1,300 से अधिक बसें नहीं चलीं। इस हड़ताल की वजह से यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम के एक प्रवक्ता ने बताया कि परिवहन निकाय की कुल 1,671 निजी बसों में से 1,375 आज सुबह से कोलाबा, वर्ली, मजास, शिवाजी नगर, घाटकोपर, देवनार, मुलुंड, सांताक्रूज, ओशिवारा और मगाथेन समेत 20 डिपो से बाहर नहीं निकलीं। बेस्ट के एक अधिकारी ने बताया, ह्यनिजी बस संचालकों के वाहन चालकों की वेतन में वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर चल रही हड़ताल तीसरे दिन और भी तेज हो गई। ज्यादातर वाहन चालक बेस्ट के चार बड़े निजी बस संचालकों मातेश्वरी, एसएमटी, हंसा और टाटा मोटर्स के हैं और उन्होंने गुरुवार को हड़ताल में हिस्सा लिया। डागा समूह के कर्मचारियों ने बुधवार को वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पूर्वी उपनगरों में बेस्ट के घाटकोपर में काम बंद कर दिया।

'जल्द ही इंजीनियरिंग-मेडिकल की पढ़ाई सभी भाषाओं में होगी'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 अगस्त।

इंजीनियरिंग और मेडिकल के पाठ्यक्रमों को दस भाषाओं में शुरू कर दिया है और जल्द ही ये सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को संसदीय राजभाषा समिति की 38वीं बैठक में यह बयान दिया।

उन्होंने कहा कि वह क्षण स्थानीय भाषाओं और राजभाषा के उदय की शुरुआत का क्षण होगा। इसका श्रेय गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिए इससे अनुकूल समय कोई और नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री हर वैश्विक मंच पर हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं को गर्व से रखते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में एक भी भाषण अंग्रेजी में नहीं देते और सरकार के मंत्री भी भारतीय भाषाओं में भाषण देने का प्रयास करते हैं, इससे अलग-अलग भाषाओं को जोड़ने के आंदोलन को बहुत गति मिलती है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश के सामने पांच प्रण रखे गए हैं जिनमें से दो प्रण हैं- विरासत का सम्मान और गुलामी के चिह्नों को मिटाना।

लोस में 'अंतर सेना संगठन कमान विधेयक' को मंजूरी

सेना के भीतर अनुशासन को मजबूत करेगा नया विधेयक : राजनाथ सिंह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 अगस्त।

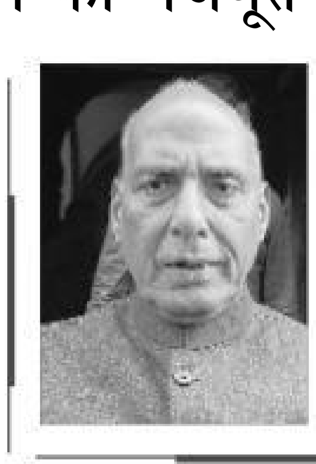

अंतर सेना विधेयक लोस से हंगामे के बीच पारित
भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक भी मंजूर

सेना के भीतर अनुशासन को और मजबत करने के लिए केंद्र सरकार शुक्रवार को लोकसभा में अंतर सेना संगठन कमान, नियंत्रण और अनुशासन विधेयक' लेकर आई। विधेयक पर जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विधेयक सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल की दिशा में उठाया गया महत्त्वपूर्ण कदम है, इससे भविष्य की चुनौतियों का एकजुट होकर मुकाबला किया जा सकेगा।

रक्षा मंत्री के प्रस्ताव के बाद अंतर सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023' को विपक्षी हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विधेयक मौजूदा सेना संबंधी कानूनों में किसी भी तरह के बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता और केंद्र सरकार को अंतर सेना संगठनों के गठन की शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव भी करता है। उन्होंने कहा कि सेना में कभी भी किसी परस्थिति में अनुशासनहीनता का कोई मामला सामने आने पर जल्द निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठनों में सेवारत कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उनकी मूल सेना इकाइयों में वापस भेजना अपेक्षित होता है। उन्होंने कहा कि इसमें धन और समय व्यय होता है और न्याय मिलने में देरी होती है। उन्होंने कहा कि एक ही अपराध के लिए अलग-अलग प्राधिकारों के अलग-अलग निर्णयों से विसंगति पैदा होती है। इस लिहाज से सभी अंतर सेना संगठनों के प्रमुखों के लिए, उनमें अनुशासन बनाए रखने के नाते एक कानून बनाने की आवश्यकता लगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह विधेयक अंतर सेना संगठनों के प्रमुखों को बेहतर अनुशासन और प्रशासनिक अधिकार प्रदान करता है।

गिरावट के बाद संभला बाजार, सूचकांक 481 अंक उछला

मुंबई, 4 अगस्त (भाषा)।

नेशनल स्टाक एक्सजेंच का निफ्टी भी 135.35 अंक यानी 0.70 फीसद की बढ़त के साथ 19,517 अंक पर बंद हुआ। साप्ताहिक आधार पर सूचकांक 438.95 अंक यानी 0.66 फीसद और निफ्टी 129.05 अंक यानी 0.65 फीसद के नुकसान में रहा है।

स्थानीय शेयर बाजारों में पिछले तीन दिन से जारी गिरावट पर शुक्रवार को विराम लगा और बीएसइ सूचकांक में 480 अंक से अधिक की तेजी रही। वैश्विक स्तर पर कुल मिलाकर मजबूत रुख के बीच एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा इंफोसिस में तेजी के साथ बाजार लाभ में रहा। तीस शेयरों पर आधारित बीएसइ 480.57 अंक यानी 0.74 फीसद की तेजी के साथ 65,721.25 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 558.59 अंक तक उछल गया था। नेशनल स्टाक एक्सजेंच का निफ्टी भी 135.35 अंक यानी 0.70 फीसद की बढ़त के साथ 19,517 अंक पर बंद हुआ।

साप्ताहिक आधार पर सूचकांक 438.95 अंक यानी 0.66 फीसद और निफ्टी 129.05 अंक यानी 0.65 फीसद के नुकसान में रहा है। रेलिगेयर ब्रोकिंग लि. के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (तकनीकी शोध) अजित मिश्रा ने कहा, हाल की गिरावट के बाद बाजार ने थोड़ी राहत ली और आधा फीसद से अधिक मजबूत हुआ। बाजार में शुरुआत तेजी के साथ हुई। उसके बाद निफ्टी सीमित दायरे में रहा और अंत में 19,517 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

शेयरों में इंडसइंड बैंक में सबसे ज्यादा 3.25 फीसद की तेजी रही। इसके अलावा टेक महिंद्रा, विप्रो, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक्नोलाजीज, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरआइएल, टीसीएस, एलएंडटी तथा इन्फोसिस में प्रमुख रूप से लाभ में रहे। दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक, एनटीपीसी, मारुति सुजकी, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स और पावरग्रिड 2.94 फीसद तक नुकसान में रहे। बीएसई स्मालकैप सूचकांक 0.66 फीसद जबकि मिडकैप 0.65 फीसद मजबूत हुआ। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी का रुख रहा।

सहारा ने निवेशकों का पैसा लौटाना शुरू किया : शाह

नई दिल्ली, 4 अगस्त (एजंसी)।

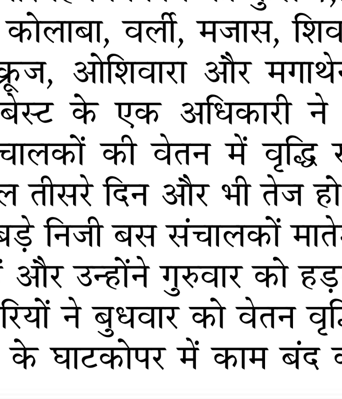

सहारा ने की योजनाओं में फंसे निवेशकों को 10-10 हजार रुपए जारी
सभी जमाकर्ताओं को उनकी धनराशि मिल जाएगी

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के करोड़ों जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई लौटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके पहले चरण के तहत उन्होंने 112 छोटे निवेशकों को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त जारी की।

शाह ने कहा कि अबतक 18 लाख जमाकर्ताओं ने 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' पर पंजीकरण कराया है। इस पोर्टल की शुरुआत 18 जुलाई को हुई थी। उन्होंने धनराशि जारी करने के बाद कहा, अबतक 18 लाख निवेशकों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। आज 112 निवेशकों में प्रत्येक के बैंक खाते में लगभग 10,000 रुपये स्थानांतरित किए गए हैं।

शाह ने कहा कि ऑडिट पूरा होते ही धनराशि की अगली किस्त जल्द ही हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने जमाकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा, मैं भरोसा देना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में सभी जमाकर्ताओं को उनकी धनराशि मिल जाएगी। प्रबंधन की गलती और अदालती मुकदमों में देरी के कारण सहारा के जमाकर्ताओं को पिछले 12-15 वर्षों से उनका धन वापस नहीं मिल रहा था।

www.readwhere.com